

क्र.सं.  
188/2019

न्यायालय उप तहसीलदार सिंधाना जिला झुन्डुनु (राज०)  
किरम मुकदमा राज्य दिनांक निर्णय दिनांक  
धारा 91 एल.आर.एक्ट 05.12.2019 23.12.2019

उपदान सरकार बनाम जगदीश पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी घरखाना खुर्द  
तहसील बुझाना जिला झुन्डुनु (राज०)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
भागला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का घरखाना खुर्द ने सम्वत 2076 में इस आशय  
की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम घरखाना खुर्द की भूमि ख० न० 539 कुल रकबा 1.1900 है०  
है० किस्म गै० मु० रास्ता मे से 800 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमी जगदीश पुत्र रिछपाल जाति  
जाट निवासी घरखाना खुर्द ने अवैध रूप से तार बन्दी कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया  
गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर भागला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी  
को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर  
तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा  
किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी  
द्वारा राजकीय भूमि में तार बन्दी कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के  
फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बंदखल किये  
जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध तार बन्दी कर अतिक्रमण किये  
जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान ...../- का अतिक्रमण शुदा भूमि के ख० न० 539 लगान .  
..... की 50 गुणा जुर्माना राशि ...../- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू० अ० निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्तो जमा  
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू० अ० निरीक्षक को गै०मु० रास्तों की भूमि से  
अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकनील  
तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फ़ैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार सिंधाना